तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.62/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
15.2.2023	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (वक्ताराम पुत्र हेमाराम जी घांची, जाति– घांची, निवासी– पोस्ट ऑफिस के पास, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव किरणा स्टोर, बरलुट रोड, जावाल, तहसील व जिल–सिरोही) अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (जवानमल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म B.J. & SONS, मेन बाजार, भैरु चौक, सुमेरपुर, जिला– पाली) के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.12.2020 को फर्म महादेव किराणा स्टोर, बरलुट रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही में प्रतिवादी वक्ताराम पुत्र हेमाराम जी घांची, जाति– घांची, निवासी– जावाल, जिला– सिरोही से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1332 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1091/Act/2020/66 दिनांक 07.1.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 16.3.2022 को प्रतिवादी वक्ताराम ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या–2 (जवानमल) की ओर से अधिवक्ता श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया उपस्थित हुये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी जवानमल के अधिवक्ता द्वारा धारा 78 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) की निर्माता O R M FOODS, Old Bolaspur road, JAGADHRI-135003 (Haryana) को पक्षकार बनाये जाने का अनुरोध किया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रतिवादी जवानमल के अधिवक्ता ने बिल संख्या 71 दिनांक 25.6.2020 की छाया प्रति प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 78 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 पर आज दिनांक 15.2.2023 को बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए निर्माता फर्म O R M FOODS, Old Bolaspur [illegible] GADHRI-135003 (Haryana) को पक्षकार बनाये [illegible] अनुरोध किया। चूंकि प्रकरण में प्रति[illegible] जवानमल की ओर [illegible] खाद्य पदार्थ बासमति .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.62/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

चावल (दस्तूर ब्राण्ड) का फर्म O R M FOODS, Old Bolaspur road, JAGADHRI-135003 (Haryana) के जिस बिल इनवोइस संख्या 71 दिनांक 25.6.2020 की छाया प्रति प्रस्तुत की है उसमें उक्त फर्म O R M FOODS, Old Bolaspur road, JAGADHRI-135003 (Haryana) के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर किये हुये नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण की अनुसंधान के दौरान प्रतिवादी जवानमल ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त बिल की छाया प्रति प्रस्तुत नही की है। ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी जवानमल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 78 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम ,2006 को खारिज किया जाता है।

प्रकरण में आज दिनांक 15.2.2023 को ही प्रतिवादी जवानमल के अधिवक्ता की अन्तिम बहस सुनी गई। प्रतिवादी जवानमल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) का नमूना लेने के संबंध में न्याय निर्णयन आवेदन में वर्णित कार्यवाही प्रतिवादी वक्ताराम के सामने निष्पादित नही की गई है एवं न ही ऐसी कोई कार्यवाही प्रतिवादी वक्ताराम के संस्थान पर निष्पादित की गई तथा न ही प्रतिवादी वक्ताराम को नमूना क्रय की राशि दी गई है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णय आवेदन में वर्णित प्रक्रिया नही अपनाई है तथा नमूना लेने की कार्यवाही विधि अनुरुप नही की गई है। आवेदक द्वारा Nabl Accredeted Lab से जांच कराने के संबंध में प्रतिवादी जवानमल को कोई सूचना नही दी है तथा न ही खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट की प्रति प्रतिवादी जवानमल को भिजवाई गई है, इस कारण से प्रतिवादी जवानमल उक्त खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) के नमूने के द्वितीय भाग की रेफरल लेब से जांच कराने के अधिकार से वंचित रहा है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 46 की उपधारा 4 का उल्लंघन है। आवेदक द्वारा प्रतिवादी वक्ताराम के सक्षम नमूना लेने की कार्यवाही सम्पादित नही करने से नमूना लेने की पूरी कार्यवाही संदेहास्पद है। यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही दोषपूर्ण व अवैध है। यह कि मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता फर्म O R M FOODS, Old Bolaspur road, JAGADHRI-135003 (Haryana)जिम्मेदार है, क्योंकि लेबल प[illegible] है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को लेबल पर [illegible] संबंध में दोषी नही ठहराया जा सकता [illegible] ने न्याय निर्णयन आवे[illegible] साबित नही करवाया है। य[illegible] परिपत्र जो भारत सरकार एवं सभी राज्य सरकारों को प्रेषित [illegible]या है उसमें मिथ्याछाप

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.62/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	वाले प्रकरणों में संबंधित फर्म को लेबल पर हुई त्रुटि में सुधार का नोटिस दिया जाकर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जावे।	

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.12.2020 को समय 1.15 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म महादेव किराणा स्टोर, बरलुट रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से वक्ताराम पुत्र हेमाराम जी घांची, जाति– घांची, निवासी– पोस्ट ऑफिस के पास, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय के समक्ष प्रपत्र 5ए में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता प्रतिवादी वक्ताराम को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) के 26 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) में से खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) के 4 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक एक किलोग्राम) को वास्ते नमूना जांच खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 200/– (अक्षरे रुपये दो सौ मात्र) प्रतिवादी वक्ताराम को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1332, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा चारों पैक्ड नमूना पाउचेज पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना जारों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1332 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्ष[illegible] को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/ज[illegible] तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर [illegible] अधिकारी के हस्ताक्षर है। [illegible] सुरक्षा अधिकारी ने

....लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:45 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.62/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भांगों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 22.12.2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा, भावना देवी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 21.12.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार,, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म महादेव किराणा स्टोर, बरलुट रोड जावाल में खाद्य कारोबारकर्ता / विक्रेता वक्ताराम से खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1332 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./1091/Act/2020/66 दिनांक 07.1.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी वक्ताराम माली पुत्र हेमाराम जी घांची जाति– घांची निवासी– पोस्ट ऑफिस गली, जावाल की फर्म महोदव किराणा स्टोर, जावाल द्वारा खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) को फर्म B.J. & SONS, मेन बाजार, सुमेरपुर, जिला– पाली से जरिये बिल इनवोईस नम्बर 3955 दिनांक 08.9.2020 के से क्रय किये गये थे, जो प्रतिवादी जवानमल की फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर [illegible]) विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 [illegible] धारा [illegible] की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो [illegible] अधिनियम [illegible] धारा [illegible] के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। ......लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.62/2021	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ बासमति चावल (दस्तूर ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी वक्ताराम पुत्र हेमाराम जी घांची, जाति– घांची, निवासी– पोस्ट ऑफिस गली, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म महादेव किराणा स्टोर, बरलुट रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 500/– (अक्षरे रुपये पांच सौ मात्र) की एवं प्रतिवादी जवानमल, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म B.J. & SONS, मेन बाजार, भैरु चौक, सुमेरपुर, जिला– पाली पर राशि रुपये 1,000/– (अक्षरे रुपये एक हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 21.2.2023 को पेश हो। (के.आर.खौड़) **अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट** **सिरोही**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:34:45 IST
Reason: SelfAttested